


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा
राधाबिकाजी बनाम हाकिमसिंह कोठे
 किस्म मुकदमा श्री 050 अन्तर्गत 212 RFA नं. 115 सन् 22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/5/23	वकील ^{सामिल} वकील उषा पाठवाले इंतजार तब्दी दिनांक 31/5/23 को पेश हो।	
16/6/23	<p>परावकी शायब वादी की भोर से 2500 दिवरा चन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दफ्तर से प्र.जा.के.स. अभि. ^{उपखण्ड} देवखेड़ा में मूल वाद के साथ पेश हुई। साधकान का मूल प्रार्थना पत्र/वाद साधक की प्रार्थना अनुसार खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 मूल प्रार्थना पत्र के खारिज किए जाने के कारण प्र.जा. 212 RFA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 30/9/22 को जारी रा. को निरस्त करने कावत तहसील दार राजाखेड़ा के परवाना जारी किया जावे परावकी केवल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। इकत सुनाया गया।</p>	 निमत राधाबिकाजी 16/6/23

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा